



UPHR010082562025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-4/
विशेष न्यायाधीश(ई०सी०एक्ट), हरदोई
उपस्थित :-योगेन्द्र चौहान, एच०जे०एस०
सत्र वाद संख्या-2047/2025
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रियासत

अ०सं०-919/2021
धारा-135 विद्युत अधिनियम
थाना-ए०पी०टी० जनपद-हरदोई

-निर्णय-

- 1- पत्रावली आज पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त रियासत उपस्थित।
- 2- अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क जमा कर उसकी रसीद दाखिल की गई हैं। समन शुल्क जमा है।
- 3- धारा 152 विद्युत अधिनियम में यह व्यवस्था दी गयी है कि- उप धारा (1) के अनुसार धनराशि सन्दाय कर दिये जाने पर उस अपराध के सम्बन्ध में अभिरक्षा में रह रहे व्यक्ति को निर्मुक्त कर दिया जाएगा और ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति के विरुद्ध किसी दायित्व कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जाएंगी या जारी नहीं रखी जाएंगी।
- 4- पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा वाद का शमन कराते हुए शुल्क जमा किया जा चुका है। उक्त स्थिति में विधिनुसार अभियुक्त के विरुद्ध अब कोई कार्यवाही किया जाना विधिसम्मत नहीं है।
- 5- अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध वाद शमन (Compound) किए जाने योग्य है।

-आदेश-

- (i)- अभियुक्त रियासत को मु०अ०सं०-919/2021, अन्तर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम, सरकार बनाम रियासत, थाना ए०पी०टी०, जिला हरदोई के विरुद्ध वाद शमन (Compound) किया जाता है।
- (ii)- विद्युत विभाग अभियुक्त से बकाया विद्युत बिल नियमानुसार वसूल करने के लिए स्वतंत्र है।

दिनांक-08.09.2026

(योगेन्द्र चौहान)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-04/
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट), हरदोई।
जे०ओ० कोड-UP1608